HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17020/2025

1. Ramswaroop S/o Chhitarmal, R/o Dhani Chaulayi Ki Tan-Gordhanpura, Police Station Sarund, District Kotputali-Behrod, Raj.
2. Kailash S/o Bhuraram, R/o Dhani Chaulayi Ki Tan-Gordhanpura, Police Station Sarund, District Kotputali-Behrod, Raj.
3. Shriram S/o Bhuraram, R/o Dhani Chaulayi Ki Tan-Gordhanpura, Police Station Sarund, District Kotputali-Behrod, Raj.
4. Smt. Rajbala W/o Shriram, R/o Dhani Chaulayi Ki Tan-Gordhanpura, Police Station Sarund, District Kotputali-Behrod, Raj.
5. Smt. Dharmadevi W/o Ramswaroop, R/o Dhani Chaulayi Ki Tan-Gordhanpura, Police Station Sarund, District Kotputali-Behrod, Raj.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Gupta
For Respondent(s)	:	Ms. Aarti Sharma, PP Mr. Buddhi Prakash Sharma for complainant

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 बी.एन.एस. के तहत पुलिस थाना, **सरूण्ड, जिला–कोटपूतली बहरोड** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**144/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 189(2), 115(2), 126(2), 351(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता** में अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि इस मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पूरे परिवार के लोगों को ही अपराध में संलिप्त कर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। उनका तर्क है कि इसी घटना के सम्बन्ध में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से क्रॉस केस के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–146/2025 दर्ज करवाई गई है। प्रकरण के सभी आहतगण के शरीर पर जो चोटें कारित हुई हैं, वह कुन्दालय से कारित साधारण प्रकृति की चोटे है तथा जो गंभीर चोटें आई हैं, वह आहतगण के मार्मिक भाग पर नहीं है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर कोई विशिष्ट आक्षेप नहीं है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध कारित करने वालों में आया है। अब तक किए गये अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण ने लाठी–डण्डों व सरियों से सुसज्जित होकर परिवादी पक्ष के घ ार में घुसकर नवलकिशोर, हरिसिंह, सुभाषचन्द व राजकुमार के साथ मारपीट की, जिससे उनके साधारण व गंभीर चोटें आई हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण कैलाश के विरूद्ध दो, श्रीराम के विरूद्ध तीन, राजबाला के विरूद्ध एक, रामस्वरूप के विरूद्ध तीन तथा धर्मा देवी के विरूद्ध एक प्रकरण पूर्व में दर्ज होना पाये गये हैं। मामले में अभी अनुंसधान किया जाना है। गंभीर अपराध है। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर यह अभियोग है कि उन्होनें एकराय होकर लाठी–डण्डों व सरियों से सुसज्जित होकर परिवादी पक्ष के घर में घुसकर महेन्द्र, नवलकिशोर, हरिसिंह, सुभाषचन्द व राजकुमार के साथ मारपीट की, जिससे उनके

साधारण व गंभीर चोटें आई हैं। आहतगण के जो चोट प्रतिवेदन केस डायरी पर उपलब्ध है, उनसे आहतगण के सिर, हाथ, पांव, कमर आदि स्थानों पर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें आना पाया गया है। आहत सुभाष के सिर के पीछे के हिस्से *(Occipital Region)* पर दो चोटे सिले हुए घाव आना प्रकट हुआ है तथा इस आहत सहित अन्य आहत राजकुमार के अस्थिभंग के रूप में गंभीर चोटें आना प्रकट हुआ है। आहतगण ने धारा–180 बी.एन.एस.एस. के कथनों में सभी अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर हथियारों से लैस होकर आना और उनके साथ मारपीट किए जाने का स्पष्ट कथन किया है। इनके अलावा अन्य साक्षीगण ने भी सभी अभियुक्तगण द्वारा आहतगण के साथ मारपीट कर उपहति कारित करना कहा है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस मामले में मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया हो। अभी मामले में अनुसंधान चल रहा है तथा उनसे गहन अनुसंधान की आवश्यकता बताई गई है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण कैलाश के विरूद्ध पूर्व के दो, श्रीराम के विरूद्ध तीन, राजबाला के विरूद्ध एक, रामस्वरूप के विरूद्ध तीन तथा धर्मा देवी के विरूद्ध एक प्रकरण दर्ज होना पाये गये हैं। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अभिरक्षात्मक अनुसंधान में आवश्यकता को देखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /151